**संख्या-948/2017/2128/22-2-2017-17(476)/2009**

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2*** ***लखनऊ: दिनांक 27 दिसम्बर, 2017***

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अशोक कुमार पुत्र श्री सुदेव निवासी जनपद-पीलीभीत की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-30218/प्रोबेशन-3 (एम-22.06.2017) दिनांक 22.08.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अशोक कुमार पुत्र श्री सुदेव, जो मो0 बख्तावरलाल, थाना-बीसलपुर, जनपद-पीलीभीत का रहने वाला है। बन्दी टी0बी0 एन्टीना के पैसे मांगने के कारण दिनांक 28.04.1986 को पिक्चर देखने जा रहे अनिल कुमार पाण्डेय की गुप्ती से मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-233/86 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 विशेष अपर सत्र न्यायाधीश, पीलीभीत के आदेश दिनांक 08.06.1989 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.03.2007 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 23.02.2015 तक 28 वर्ष 03 माह 28 दिन की अपरिहार सजा तथा 36 वर्ष 09 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी का नहीं होनें, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की संभावना से इन्कार नहीं किये जाने, अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी टी0बी0 एन्टीना के पैसे मांगने के कारण दिनांक 28.04.1986 को पिक्चर देखने जा रहे अनिल कुमार पाण्डेय की गुप्ती से मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 45 वर्ष लगभग है। बन्दी के अपराध करने में अशक्त न होने, बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

करने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अशोक कुमार पुत्र श्री सुदेव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी अशोक कुमार (बन्दी संख्या-14257) पुत्र श्री सुदेव निवासी जनपद-पीलीभीत के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

**संलग्नक: यथोपरि।**

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-948/2017/2128(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

**शासनादेश सख्ंया-948/2017/2128/22-2-2017-17(476)/2009**

**दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 का संलग्नक**

**<u>सरकार के आदेश</u>**

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अशोक कुमार पुत्र श्री सुदेव, जो मो0 बख्तावरलाल, थाना-बीसलपुर, जनपद-पीलीभीत का रहने वाला है। बन्दी टी0बी0 एन्टीना के पैसे मांगने के कारण दिनांक 28.04.1986 को पिक्चर देखने जा रहे अनिल कुमार पाण्डेय की गुप्ती से मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-233/86 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 विशेष अपर सत्र न्यायाधीश, पीलीभीत के आदेश दिनांक 08.06.1989 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.03.2007 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 23.02.2015 तक 28 वर्ष 03 माह 28 दिन की अपरिहार सजा तथा 36 वर्ष 09 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी का नहीं होनें, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की संभावना से इन्कार नहीं किये जाने, अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी टी0बी0 एन्टीना के पैसे मांगने के कारण दिनांक 28.04.1986 को पिक्चर देखने जा रहे अनिल कुमार पाण्डेय की गुप्ती से मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 45 वर्ष लगभग है। बन्दी के अपराध करने में अशक्त न होने, बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अशोक कुमार पुत्र श्री सुदेव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in